न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री जयसिंह आरएएस

मु0नं0 – 243/2020 (2020/00393)

मेवासिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिडियागांधी तहसील भादरा।
2. रणधीरसिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिडियागाधी तहसील भादरा।
3. सावित्री पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिडियागांधी हाल जाण्डवाला बागड़ तहसील भट्टु जिला फतेहाबाद।
4. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री विरेन्द्र जाखड़ **: वादी**

वकील श्री तरूण मिश्रा **: प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

निर्णय दिनांक : 19/7/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 10 एसडीआर के खाता सं0 45/47 के मु0नं0 1 के किला नं0 15 ता 17, 23 ता 25, मु0नं0 2 के किला नं0 3 ता 5, मु0नं0 68 के किला नं0 12, 19 ता 22 कुल किता 14 की 2.618 है0 नहरी जिसमें रामकुमार के नाम से 67–1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 8 एसडीआर के वर्तमान खाता सं0 114/105 के मु0नं0 68 के किला नं0 3, 4, 7 ता 9, 11 ता 25 मु0नं0 69 के किला नं0 21 मु0नं0 84 के किला नं0 1 मु0नं0 85 के किला नं0 1 ता 5, 10 मु0नं0 86 के किला नं0 8/1, 9/1, 12 ता 14 कुल किता 33 की 7.323 है0 नहरी जिसमें रामकुमार के नाम से 3.408 है0 खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 8 एसडीआर के खाता सं0 113/104 के मु0नं0 86 के किला नं0 25 मु0नं0 102 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12, मु0नं0 103 के किला नं0 5 ता 8, 13 ता 15 कुल किता 14 की 2.808 है0 नहरी मय रास्ता खाला में रामकुमार के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 4 बारानी के वर्तमान खाता सं0 81/76 के मु0नं0 41 के किला नं0 11 ता 13, 18 ता 23 मु0नं0 42 के किला नं0 11 ता 25, मु0नं0 43 के किला नं0 15 ता 19, 22 ता 25 मु0नं0 56 के किला नं0 2 ता 5 मु0नं0 57 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 मु0नं0 58 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 मु0नं0 61 किला नं0 2 व 3 कुल किता 59 की 14.927 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रामकुमार के नाम से 130–3/4 हिस्सा [illegible] भाग खातेदारी दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है [illegible] हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दू मिताक्षरा पद्धति से शासित [illegible] वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सहदायिकी [illegible] है जिसमें वादी का [illegible] से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रति[illegible] रामकुमार के नाम म[illegible] खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा रखा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:13:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादभूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया जिसमें वादभूमि में से चक 10 एसडीआर के खाता सं0 45/47 व चक 8 एसडीआर के खाता सं0 114/105 में प्रतिवादी रामकुमार के नाम से दर्ज खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी रणधीरसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई तथा प्रतिवादी सावित्री ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी रणधीरसिंह के पक्ष में तर्क कर दिया तथा प्रतिवादी रामकुमार के हिस्सा में चक 8 एसडीआर के खाता सं0 113/104 व चक 4 बारानी के खाता सं0 81/76 में स्थित भूमि जो प्रतिवादी रामकुमार के नाम से दर्ज है, वह रामकुमार के हिस्सा में आ गई। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण रणधीरसिंह व रामकुमार की कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु रिकार्ड माल में कुल वादभूमि तन्हा प्रतिवादी रामकुमार के नाम से दर्ज चली आ रही है जिसमें वादी के खातेदारी हकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 4 बैंक को वकील वादी ने तर्क किया। प्रतिवादी सं0 5 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी मेवासिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यचित्रप्रति जमाबन्दी चक 8 एसडीआर खाता सं0 114/105, 113/104 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 1, 3, सत्यचित्रप्रति जमाबन्दी चक 10 एसडीआर खाता सं0 45/47 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 2, सत्य प्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 4 बारानी खाता सं0 81/76 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 4, सत्य चित्रप्रति जमाबन्दी चक 8 एसडीआर के खाता सं0 100/92 सम्वत् 2066 से 69 प्रदर्श 5, सत्यप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 10 एसडीआर के खाता सं0 43/48 सम्वत् 2066 से 69 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये एवं वारिस प्रमाण पत्र पेश किया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने जाहिर किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दू मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि हम वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सहदायिकी सम्पति है जिसमें वादी का भी जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हस्तगत वाद वादी ने चक 8 एसडीआर व 10 एसडीआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में जो सत्य चित्रप्रति जमाबन्दी चक 8 एसडीआर के खाता सं0 100/92 सम्वत् 2066 से 69 प्रदर्श 5, सत्यप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 10 एसडीआर के खाता सं0 43/48 सम्वत् 2066 से 69 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये है, उनमें चक 10 एसडीआर, 8 एसडीआर के खाता सं0 114/105 की वाद कृषि भूमि वादी के दादा रामदयाल वल्द सुरजा के नाम दर्ज है जिससे उक्त वाद कृषि भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। चक 8 एसडीआर के खाता सं0 113/104 की बाबत वादी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। वारिस प्रमाण पत्र में रामकुमार के वारिसान में पत्नी रामेश्वरी फौत, एक पुत्री सावत्री व दो पुत्र मेवासिंह एवं रणधीरसिंह जीवित है इनके अलावा अन्य कोई वारिस नही होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:13:46 IST
Reason: SelfAttested

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 10 एसडीआर के खाता सं0 45/47 के मु0नं0 1 के किला नं0 15 ता 17, 23 ता 25, मु0नं0 2 के किला नं0 3 ता 5, मु0नं0 68 के किला

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
(जिला-हनुमानगढ़)

नं0 12, 19 ता 22 कुल किता 14 की 2.618 है0 नहरी जिसमें रामकुमार के नाम से 67–1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 8 एसडीआर के वर्तमान खाता सं0 114/105 के मु0नं0 68 के किला नं0 3, 4, 7 ता 9, 11 ता 25 मु0नं0 69 के किला नं0 21 मु0नं0 84 के किला नं0 1 मु0नं0 85 के किला नं0 1 ता 5, 10 मु0नं0 86 के किला नं0 8/1, 9/1, 12 ता 14 कुल किता 33 की 7.323 है0 नहरी जिसमें रामकुमार के नाम से 3.408 है0 खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादिया सं0 3 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर व प्रतिवादी सं0 1 का वाद कृषि भूमि में से नाम कलमजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। चक 4 बारानी के खाता सं0 81/76 व चक 8 एसडीआर के खाता सं0 113/104 की कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:13:46 IST
Reason: SelfAttested